

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 231]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 जुलाई 2023—श्रावण 5, शक 1945

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2023

क्र. एफ ए-3-42-2017-1-पांच (22).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5), और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-42-2017-1-पांच (53), भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2017 में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम सं. 19ग के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

(3)

“सेटेलाइट प्रक्षेपण सेवाएं.”

2. यह अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई 2023 से लागू होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2023

क्र. एफ ए-3-42-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-42-2017-1-पांच (22), दिनांक 27 जुलाई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 27th July 2023

No. F A 3-42-2017-1-V (22).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and (4) of Section 9, sub-section (1) of Section 11, sub-section (5) of Section 15 and Section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments to amend this department's Notification No. F A 3-42-2017-1-V (53), dated 30th June, 2017, namely :—

In the said notification, in the Table, against serial number 19C, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted :—

(3)

"Satellite launch services."

2. This notification shall come into force with effect from 27th July 2023.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.